राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
180/08	26.06.2008	26.07.2018

अनुवान

1. शुभकरण दत्तक पुत्र सुरताराम उम्र करीब 27 साल जाति जाट निवासी बिरोद।
2. मुन्नी पुत्री अमरसिंह पत्नि विजयसिंह उम्र करीब 30 साल, जाति जाट, निवासी बिरोद हाल लिसाना, तहसील रेवाडी (हरियाणा)।
3. सन्तोष पुत्री अमरसिंह पत्नि मुकेश उम्र करीब 25 साल, जाति जाट निवासी बिरोद हाल किशनपुरा, तहसील बावल, हरियाणा।
4. सुशीला पुत्री अमरसिंह पत्नि कबूलसिंह उम्र करीब 33 साल जाति जाट निवासी बिरोद हाल किशनपुरा, बावल।
5. कौशल्या पुत्री अमरसिंह पत्नि हुकमचन्द उम्र करीब 50 साल जाति जाट, निवासी बिरोद हाल सुखहेडी, तहसील बावल, हरियाणा।
6. कृष्णा पुत्री अमरसिंह पत्नि जसराम उम्र करीब 40 साल जाति जाट निवासी बिरोद हाल सुखहेडी, तह0 बावल।
7. राजबाला पुत्री अमरसिंह पत्नि चरणसिंह उम्र करीब 35 साल, जाति जाट निवासी बिरोद, हाल किशनपुरा, तह0 बावल, हरियाणा।

:– वादीगण।

बनाम

1. पूरणसिंह उम्र करीब 50 साल
2. चरणसिंह उम्र करीब 45 साल
3. सुबेसिंह उम्र करीब 38 साल
4. प्रकाशचन्द उम्र करीब 32 साल पुत्रान हरिसिंह
5. सरोज उम्र करीब 40 साल बेवा रामकिशन पुत्र हरिसिंह
6. सोनू उम्र करीब 15 साल पुत्र रामकिशन नाबालिंग जर्ये सरप्रस्त माता खुद सरोज
7. मोनू उम्र करीब 12 साल पुत्र रामकिशन नाबालिंग जर्ये सरप्रस्त माता खुद सरोज जाति जाट, निवासी बिरोद, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

8. जनकसिंह उम्र करीब 70 साल
9. केसरीसिंह उम्र करीब 65 साल पुत्रान गणपतसिंह जाति राजपूत, निवासी मिर्जापुर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
10. रोकड उम्र करीब 50 साल श्योराम उर्फ भूरिया
11. रामफल उम्र करीब 45 साल पुत्रान श्योराम उर्फ भूरिया
12. श्रीराम उम्र करीब 65 साल पुत्र मुखराम
13. शास्त्री पुत्री अर्जुन
14. राजेन्द्र उम्र करीब 30 साल पुत्र महासिंह
15. रामावतार उम्र करीब 25 साल पुत्र महासिंह
16. धनपत उम्र करीब 50 साल पुत्र सुखराम जाति जाटान, निवासी बिरोद, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
17. बंशीधर उम्र करीब 60 साल
18. अमीचन्द उम्र करीब 55 साल
19. भागमल उम्र करीब 50 साल पुत्रान उदयाराम जाति जाटान, निवासी बिरोद, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
20. बलवन्त उम्र करीब 50 साल पुत्र चन्द्रों पुत्री उदयराम पत्नि केवल जाति जाट निवासी बोहका
21. मोडाराम उम्र करीब 40 साल
22. धनपत उम्र करीब 37 साल
23. अतरसिंह उम्र करीब 35 साल
24. विजयसिंह उम्र करीब 30 साल पुत्रान सरबती पुत्री उदयराम पत्नि केवल जाति जाटान, निवासी बोहका, रेवाडी।
25. सदाकौर उम्र करीब 58 साल पुत्र उदयराम पत्नि फूलसिंह जाति जाट निवासी बोहका, रेवाडी, हरियाणा।
26. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।

:–प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुकमइम्तनाई दवामी।

उपस्थिति :

1. श्री अशोक चौधरी प्रथम वकील–वादी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

–::निर्णय::–

दिनांकः– 26.07.2018

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। सुना गया।

वादीगण के वाद का सारतः रहा कि :–

साबिक आराजी ख0नं0 54 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 55 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नं. 62/0.95, 63/0.43, 64/0.61 वाके ग्राम मिर्जापुर, तहसील मुण्डावर में स्थित होकर साबिक खसरा नं. 54 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, सालिम व खसरा नम्बर 55 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में से 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 25 के पिता उदयराम पुत्र ठाकरसी की कब्जाकाश्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 25 के पिता उदयराम पुत्र ठाकरसी से विवादित आराजी साबिक खं. नं. 54 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 06 बिस्वा व ख0नं0 साबिक 55 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में से 14 बिस्वा कुल 2 बीघा मिन वादीगण के पिता सूरतसिंह व अमरसिंह पुत्रान लालमन 1/2 भाग प प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पिता व दादा हरिसिंह पुत्र मोहरसिंह 1/2 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.06.1967 को खरीद किया है। वक्त खरीद से विवादित आराजी पर खरीदशुदा रकबे 2 बीघा में से मिन वादीगण अपने 1/2 भाग पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मिन वादीगण के विवादित आराजी मे खरीदशुदा रकबे 1/2 भाग से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण बेईमान प्रवृति के व्यक्ति है व वादीगण की अज्ञानता का फायदा उठाकर राजस्व व बंदोबस्त कर्मचारियों से मिलकर रिकार्ड में खिलाफ मौका व कानून के बयनामा का अमल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने खरीदशुदा रकबे से अधिक 1 बीघा 14 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ने 8 बिस्वा रकबे का इन्द्राज अपने नाम राजस्व रिकार्ड में करा लिया, जिसका उनको कोई हक व अधिकार कानूनन हासिल नही था। उक्त गलत अंकन ताहाल राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है, जो मिनवादीगण के हकूकों के खिलाफ है। इसलिए उक्त गलत अंकन काबिले दुरूस्त है। मिनवादीगण के हक–हकूक कानूनन सुरक्षित है। इसलिए मिन वादीगण आराजी खसरा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

नं. 63 में 14 बिस्वा व खसरा नं. 64 में 8 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने मिन वादीगण के हिस्से कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी में माह अप्रेल, 2008 मे, कब्जाकाश्त में मजाहमत व जबरन बेदखल कर कब्जा करने की असफल कोशिश की। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों मे सफल हो गये तो मिन वादीगण को अजहद क्षति होगी एवं दावा करना ही बेमायना हो जावेगा। मिन वादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0 से पाबन्द कराने के अधिकारी है, का निवेदन करते हुए वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण कर डिक्री ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस प्रकार पारित की जावे कि वादीगण खसरा नं0 63 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से 14 बिस्वा व खसरा नं. 64 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा में से 08 बिस्वा वाके ग्राम मिर्जापुर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे एवं इसी कदर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे तथा डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी खसरा नं. 63 व 64 में वादीगण के हिस्से कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से मज़ाहमत पैदा नही करें ना ही आराजी को दीगर जगह रहन बय इत्यादि से मुन्तकिल ना करें, का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण ने अपने वाद पत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र शुभकरण पी.डब्ल्यू.–1, अभयसिंह पी.डब्ल्यू.–2, बंशीधर पी.डब्ल्यू.–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 किता–3 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021–24 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2029 किता–3 प्रदर्श–4 एवं बयनामा दिनांक 22.07.1967 की छायाप्रति व अन्य दस्तावेजात पेश किये है, जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादीगण के वादपत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए उक्त विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 54 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा सालिम, 2 बीघा 14 बिस्वा में से 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 17

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

लगायत 25 के पिता उदयराम पुत्र ठाकरसी की कब्जेकाश्त खातेदारी बताते हुए उदयराम से साबिक खसरा नं. 54 में से 1 बीघा 6 बिस्वा व साबिक खसरा नं. 55 में से 14 बिस्वा वादीगण के पिता सूरतसिंह व अमरसिंह पुत्रान लालमन 1/2 भाग व, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता व दादा हरिसिंह पुत्र मोहरसिंह 1/2 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.06.1967 को खरीद किया जाना व इसी अनुसार वादीगण के विवादित आराजी में खरीदशुदा रकबा 1/2 भाग से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही होने का निवेदन करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र शुभकरण पी.डब्ल्यू.–1, अभयसिंह पी.डब्ल्यू.–2, वंशीधर पी.डब्ल्यू.–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 किता–3 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021–24 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2029 किता–3 प्रदर्श–4 एवं बयनामा दिनांक 22.07.1967 की छायाप्रति व अन्य दस्तावेजात के अवलोकन का निवेदन करते हुए उपरोक्त के आधार पर वादीगण का वाद को डिक्री कर दिये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की ध्यान पूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन उपरान्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के मुताबिक प्रस्तुत रिकार्ड यथा मुताबिक प्रस्तुत प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक से हाल विवादित खसरा नम्बरान पैमूद हुए है एवं मुताबिक प्रदर्श–2 साबिक खसरा नं. 54, 55 उदयराम पि0 ठाकरसिंह जाट साकिन बिरोद अंकित है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में बयनामा दिनांक 22.06.1967 की छायाप्रति पेश की है तथा दौराने बहस उक्त मूल बयनामा न्यायालय के समक्ष वास्ते अवलोकन पेश किया, जो मुताबिक दावे में अंकित जिम्मन नं. 2 अनुसार ही पूर्व में पेश होकर तस्दीक हुआ है तथा प्रदर्श–4 अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम का अंकन है, जो ताहाल तक चला आ रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी खसरा नं. 63 रकबा 0.43 हैक्0 में से 14 बिस्वा यानि 17 एयर की हद तक एवं खसरा नं. 64 रकबा 0.61 हैक्0 मे से 8 बिस्वा यानि 10 एयर की हद तक वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त हिस्से आराजी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम का हो रहे अंकन हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्तानुसार खसरा नं. 63/0.43 हैक्0 में से 0.17 हैक्0 एवं खसरा नं. 64/0.61 हैक्0 में से 0.10 हैक्0 वाके ग्राम मिर्जापुर, तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत् वादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार वादीगण की आने वाली हिस्से आराजी बाबत् हु0ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त आराजी में मजाहत पैदा नही करे ना ही हाल रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी को किसी भी प्रकार से दीगर जगह मुन्तकिल नही करें। बैंक रहन की स्थिति में पक्षकारान को प्राप्त होने वाले हिस्से, रकबे आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तद्अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

26.07.18

(महेश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
180 / 08	26.06.2008	26.07.2018

अनुवान

1. शुभकरण दत्तक पुत्र सुरताराम उम्र करीब 27 साल जाति जाट निवासी बिरोद।
2. मुन्नी पुत्री अमरसिंह पत्नि विजयसिंह उम्र करीब 30 साल, जाति जाट, निवासी बिरोद हाल लिसाना, तहसील रेवाडी (हरियाणा)।
3. सन्तोष पुत्री अमरसिंह पत्नि मुकेश उम्र करीब 25 साल, जाति जाट निवासी बिरोद हाल किशनपुरा, तहसील बावल, हरियाणा।
4. सुशीला पुत्री अमरसिंह पत्नि कबूलसिंह उम्र करीब 33 साल जाति जाट निवासी बिरोद हाल किशनपुरा, बावल।
5. कौशल्या पुत्री अमरसिंह पत्नि हुकमचन्द उम्र करीब 50 साल जाति जाट, निवासी बिरोद हाल सुखहेडी, तहसील बावल, हरियाणा।
6. कृष्णा पुत्री अमरसिंह पत्नि जसराम उम्र करीब 40 साल जाति जाट निवासी बिरोद हाल सुखहेडी, तह0 बावल।
7. राजबाला पुत्री अमरसिंह पत्नि चरणसिंह उम्र करीब 35 साल, जाति जाट निवासी बिरोद, हाल किशनपुरा, तह0 बावल, हरियाणा।

:– वादीगण

बनाम

1. पूरणसिंह उम्र करीब 50 साल
2. चरणसिंह उम्र करीब 45 साल
3. सुबेसिंह उम्र करीब 38 साल
4. प्रकाशचन्द उम्र करीब 32 साल पुत्रान हरिसिंह
5. सरोज उम्र करीब 40 साल बेवा रामकिशन पुत्र हरिसिंह
6. सोनू उम्र करीब 15 साल पुत्र रामकिशन नाबालिग जर्ये संरप्रस्त माता खुद सरोज
7. मोनू उम्र करीब 12 साल पुत्र रामकिशन नाबालिग जर्ये सरप्रस्त माता खुद सरोज जाति जाट, निवासी बिरोद, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

8. जनकसिंह उम्र करीब 70 साल
9. केसरीसिंह उम्र करीब 65 साल पुत्रान गणपतसिंह जाति राजपूत, निवासी मिर्जापुर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
10. रोकड उम्र करीब 50 साल श्योराम उर्फ भूरिया
11. रामफल उम्र करीब 45 साल पुत्रान श्योराम उर्फ भूरिया
12. श्रीराम उम्र करीब 65 साल पुत्र मुखराम
13. शास्त्री पुत्री अर्जुन
14. राजेन्द्र उम्र करीब 30 साल पुत्र महासिंह
15. रामावतार उम्र करीब 25 साल पुत्र महासिंह
16. धनपत उम्र करीब 50 साल पुत्र सुखराम जाति जाटान, निवासी बिरोद, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
17. बंशीधर उम्र करीब 60 साल
18. अमीचन्द उम्र करीब 55 साल
19. भागमल उम्र करीब 50 साल पुत्रान उदयाराम जाति जाटान, निवासी बिरोद, तहसी मुण्डावर, जिला अलवर।
20. बलवन्त उम्र करीब 50 साल पुत्र चन्द्रों पुत्री उदयराम पत्नि केवल जाति जाट निवासी बोहका
21. मोडाराम उम्र करीब 40 साल
22. धनपत उम्र करीब 37 साल
23. अतरसिंह उम्र करीब 35 साल
24. विजयसिंह उम्र करीब 30 साल पुत्रान सरबती पुत्री उदयराम पत्नि केवल जाति जाटान, निवासी बोहका, रेवाडी।
25. सदाकौर उम्र करीब 58 साल पुत्र उदयराम पत्नि फूलसिंह जाति जाट निवासी बोहका, रेवाडी, हरियाणा।
26. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।

:–प्रतिवादीगण।

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो
हुकमइम्तनाई दवामी।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

–:: पर्चा डिक्री ::–

दिनांक :– 26.07.2018

वकील वादीगण श्री अशोक चौधरी प्रथम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.07.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

हाल आराजी खसरा नं. 63 रकबा 0.43 हैक्0 में से 14 बिस्वा यानि 17 एयर की हद तक एवं खसरा नं. 64 रकबा 0.61 हैक्0 मे से 8 बिस्वा यानि 10 एयर की हद तक वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त हिस्से आराजी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम का हो रहे अंकन हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्तानुसार खसरा नं. 63/0.43 हैक्0 में से 0.17 हैक्0 एवं खसरा नं. 64/0.61 हैक्0 में से 0.10 हैक्0 वाके ग्राम मिर्जापुर, तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत् वादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार वादीगण की आने वाली हिस्से आराजी बाबत् हु0ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त आराजी में मजाहत पैदा नही करे ना ही हाल रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी को किसी भी प्रकार से दीगर जगह मुन्तकिल नही करें। बैंक रहन की स्थिति में पक्षकारान को प्राप्त होने वाले हिस्से, रकबे आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

26.07.2018

उपखण्डाधिकारी
(अलवर) राज.

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner